दिनांक 29.08.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–1784/110/तीन/97–VI, दिनांक 20.08.2014** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। जिन जनपदों से एम0पी0आर0 निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे जनपदों के विरूद्ध प्रथम बार चेतावनी निर्गत की जाय इसके उपरान्त भी समय से एम0पी0आर0 न आने पर प्रतिकूल प्रविष्टी का प्रस्ताव रखा जाय।
- **कम्पयूटर ज्ञान की समीक्षा** – जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी कम्प्यूटर की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

लाभार्थी अंशदान

1. उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी अंशदान की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न जनपदों द्वारा लाभार्थी अंशदान अभी प्राप्त नहीं किया गया है– **जनपद–शामली, आजमगढ़, एटा, हमीरपुर, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर एवं प्रतापगढ़।**

   संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 7 से 10 दिन के अन्दर लाभार्थियों से अंशदान प्राप्त करना सुनिश्चित् किया जाय। कतिपय जनपदों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अंशदान का विवरण नहीं प्रेषित किया गया। अतः निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्रपत्र पर ही विवरण प्रेषित किया जाय।
2. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति आख्या बैठक के दिनांक तक **जनपद मथुरा व फर्रूखाबाद** द्वारा प्रेषित नहीं की गयी। संबंधित जनपदों को कड़े निर्देश दिये गये कि समय से मासिक प्रगति आख्या सूडा को उपलब्ध कराये। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि समय न प्रेषित किये जाने वाले जनपदों की पत्रावली प्रेषित की जाय।
3. जनपदों द्वारा योजनान्तर्गत अभी भी आवासों के आवंटन की कार्यवाही पूरी नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि समस्त संबंधित जनपदों को आवास आवंटन हेतु पत्र प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के जी0एम0, तकनीकी श्री ए0के0 पुरवार को कार्यो में गतिशीलता लाये जाने के निर्देश दिये गये।
- जिला नगरीय विकास अभिकरण के उपस्थित परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उक्त योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 से समन्वय स्थापित कर कार्यो में गतिशीलता के लिये सतत् अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। डूडा जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों की प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मासान्त तक कार्यदायी संस्था

से प्राप्त करते हुये प्रत्येक माह की 02 तारीख तक सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि तत्काल उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित् करायें। यह भी निर्देशित किया गया कि विकास एजेण्डा वर्ष 2014–15 के अंतर्गत इस योजना की भी शासन स्तर पर उच्च स्तीरय अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यदि शासन द्वारा इस संबंध में कोई विपरीत टिप्पणीं की जाती है तो इसके लिए कार्यदायी संस्था ही उत्तरदायी होगी एवं विलम्ब के लिए कोई मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- कार्यदायी संस्था उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बागपत के खेकड़ा की परियोजना के अंतर्गत भूमि की चौड़ाई काफी कम है जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। परियोजना अधिकारी, बागपत को निर्देशित किया गया कि समस्त प्रपत्रों एवं संबंधित उप जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के साथ अभिकरण मुख्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित् करें।
- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जहां पर कार्य प्रगति में अत्यन्त विलम्ब है वहां त्वरित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय।
- संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सी–टू आवास निर्माण कराये जाने के संबंध में यथाशीघ्र शासनादेश निर्गत किया जा रहा है। उनके द्वारा समस्त परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को विस्तार से आसरा योजनान्तर्गत इन–सी–टू परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया।
- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अभी तक किसी भी परियोजना में एक भी आवास पूर्ण नहीं किया गया है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करायें अन्यथा विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। यह निर्देश दिये गये कि समस्त परियोजना अधिकारियों द्वारा इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराये जाने हेतु त्वरित प्रयास किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि संबंधित बीमा कम्पनी आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड तथा जनपद में स्थित रिक्शा चालक एसोशिएशन के प्रतिनिधियों से गहन सम्पर्क कर अधिक से अधिक दावा प्रकरण निस्तारित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय। इस हेतु विशेष प्रचार–प्रसार कर पंजीकृत

लाभार्थियों को योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की जाय। अनुपालन आख्या अपरिहार्य है। बैठक में आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड बीमा कम्पनी के लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय के प्रतिनिधि ने दावा निस्तारण सम्बन्धी किसी भी असुविधा की स्थिति में उनके एरिया मैनेजर से तत्काल सम्पर्क किये जाने हेतु सूचित किया। उन्होंने कार्यालय का पता और एरिया मैनेजर का नाम एवं मोबाइल नं0 सभी को उपलब्ध भी कराया।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या–1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित निर्गत किये जा चुके है। यह निर्देशित किया गया कि यथा निर्धारित संशोधित कट–ऑफ–डेट तक नगरीय निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों का सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य दो माह मे पूर्ण कराकर दिनांक 30.08.2014 तक शासन एवं निदेशालय को सूची प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् किया जाय। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अधिकतर जनपदों से वांछित सूचना प्राप्त न होने के प्रति सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित सूचित सूची की हार्ड एवं साफ्ट कापी अभिकरण को प्रेषित कर दी जाये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

<u>राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)</u>

- भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना समाप्त कर राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) योजना प्रारम्भ की गयी है। एन0यू0एल0एम के विभिन्न उप घटकों के संबंध में समय–समय पर समस्त जनपदों को पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है।
- योजना के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि शासनादेश संख्या–1514/69–1–2014–39(बजट)/13, दिनांक 11.08.2014 द्वारा सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जा

चुका है। अतः तत्काल दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। इसमें किसी भी प्रकार शिथलता क्षम्य नहीं होगी।

- योजना के उप घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilisation and Institution Development (SM&ID)) के अंतर्गत शहरी आजिविकास केन्द्र (सी0एल0सी0) के स्थापना का प्रावधान है इस संबंध में समस्त जनपदों को समय–समय विस्तृत रूप से निर्देशित कर सी0एल0सी0 की स्थापना हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर किसी भी जनपदों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है। कानपुर नगर एवं झांसी के संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुये है, शेष जनपदों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अब इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। इस संबंध में समस्त जनपदों को प्रारूप भी प्रेषित किया जा चुका है। जनपदों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 24 सितम्बर, 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) प्रारम्भ किया गया है। अतः स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदनों को एन0यू0एल0एम0 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् किया जाय।
- सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि एस0जे0एस0आर0वाई0/एन0यू0एल0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–के–14014/49/2014–यूपीए/एफटीएस–10821, दिनांक 07.08.2014 के साथ संलग्न प्रारूप जोकि अभिकरण के पत्र संख्या–1976/27/तीन/2001(स्टेप–अप), दिनांक 03.09.2014 के माध्यम से समस्त जनपदों को प्रेषित किया जा चुका है एवं सूडा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, कि सूचना दिनांक 08.09.2014 तक ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ताकि समय से सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एल0यू0एल0एम0) के अंतर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है। अतः प्रत्येक माह की 5 तरीख को निर्धारित प्रारूप पर ई–मेल के माध्यम से सूडा को मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जनपद बरेली को निर्देशित किया गया कि तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित किया जाय।
- योजना के अंतर्गत जिन जनपदों द्वारा धनराशि वसूल की जानी थी किन्तु अभी तक धनराशि वसूल नहीं की गयी है, को निर्देशित किया गया कि तत्काल वसूली में तेजी लाना सुनिश्चित् किया जाय।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

<u>स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना</u>

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जैसा कि जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा कि उपलब्ध धनराधि तत्काल सूडा को उपलब्ध करायें किन्तु अभी भी 10 जनपदों द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो कि खेदजनक है। संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी एक

सप्ताह में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश भी निर्गत किये जा चुके है। अतः निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना</u>

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- उक्त योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कार्य न प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूडा के संबंधित पटल द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती</u>

- उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जनपद – बलिया, लखनऊ, मेरठ, एवं वाराणसी को पुनः निर्देशित किया गया कि द्वारा यू0सी0/धनराशि सूडा को अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है, एक सप्ताह के अन्दर निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

<u>स्लम सर्वे तथा एस0सी0एस0पी0</u>

- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें, परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी। इस प्रकरण पर निदेशक महोदय द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण

पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। अतः संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>बैलेन्स शीट</u>

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जिन जनपदों द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –</u>

- समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि विधायी प्रकरणों (लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद) के प्रश्नों के उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री तथा विभिन्न नियमो के अन्तर्गत वांछित सूचनाएं जनपदों से परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के स्तर से हस्ताक्षरित कर प्रेषित कर दी जाती है, यह प्रवृति अनुचित है। पूर्व में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि विधायी मामलो में उत्तरालेख प्रत्येक दशा में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा अथवा परियेाजना निदेशक, डूडा के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाय। अतः कड़े निर्देश दिये गये उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ओवर लैपिंग अर्थात दूसरे विभाग द्वारा भी वही कार्य कराया जाय, ऐसा न होना सुनिश्चित् किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पहले जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि किसी अन्य योजना में कार्य नहीं कराया गया है।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित् की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

- समस्त जनपदीय अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें व योजना को कियान्वित करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो।

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 2098 / 110 / तीन / 97 **Vol-VI** दिनांक– 12/9/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
8. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0 / वेब मास्टर, सूडा को संलग्नक सहित सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

11/9/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक